

# कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश।

संख्या-303/सी0ई0ओ0-4-3/4-2017  
सेवा में,

लखनऊ: दिनांक: 20 जनवरी, 2017

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

विधानसभा सामान्य  
निर्वाचन-2017

विषय: विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2017-फोटो मतदाता पर्चियों के मुद्रण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या-ए-02/सी0ई0ओ0-4-3/4-2017 दिनांक 11.01.2017 एवं पत्र संख्या-831/सीईओ-2-8/2-2014 दिनांक 21.03.2014 के साथ संलग्न आयोग के पत्र संख्या-464/आईएनएसटी-वीएस/2014-ईपीएस दिनांक 21.03.2014 का संदर्भ लें जिसके माध्यम से विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2017 के प्रयोगार्थ फोटोयुक्त मतदाता पर्चियों के मुद्रण के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

2- इस सम्बन्ध में मुझे भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-464/INST/VS/2017-EPS दिनांक 19.01.2017 (छायाप्रति संलग्न) की प्रति भेजते हुए आपका ध्यान इस कार्यालय के उक्त पत्र दिनांक 21.03.2014 की ओर आकृष्ट कराते हुए यह कहना है कि आयोग ने अपने उक्त पत्र दिनांक 21.03.2014 के द्वारा मतदाता पर्ची वितरण सम्बन्धी प्रस्तरों (प्रस्तर-एल, एन एवं ओ) में कतिपय संशोधनों से अवगत कराया है।

3- आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए **मतदाता पर्ची वितरण के बारे में किए गए संशोधन सम्बन्धी पत्र दिनांक 19.01.2017 के अंश निम्नवत् उद्धृत किए जा रहे हैं:-**

- All undistributed photo voter slips shall be returned by the BLO to the Concerned ERO concerned who shall keep the same in the sealed cover under safe custody;
- No further distribution of photo voter slips would be done after the same are returned to the ERO;
- ERO shall make an alphabetical list of undistributed photo voter slips in respect of each part/polling station;
- Two copies of the alphabetical list shall be handed over to the RO of the constituency;

2. Further, Para (n) and (o) the Commission Instruction no.464/INST-VS/2014-EPS, dated 21<sup>st</sup> March, 2014 regarding distribution of photo voter slip through facilitation counter at polling stations on poll day have been done away with.

अतः कृपया आयोग के संलग्न निर्देशों को सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों/उम्मीदवारों, राजनैतिक दलों और अन्य सभी सम्बन्धित के संज्ञान में लाते हुए इनका अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

**संलग्नक: यथोपरि।**

भवदीय,

(अमृता सोनी)

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी

**संख्या:303(1)/सी0ई0ओ0-4-तददिनांक-**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- समस्त जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- श्री शैलेश श्रीवास्तव, प्रिन्सिपल सिस्टम एनालिस्ट, एनआईसी, लखनऊ।
- मुख्यालय के समस्त अधिकारी/अनुभाग/प्रकोष्ठ।
- कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(अमृता सोनी)

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी



Speed Post

भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

EPABX 011-23717391-98  
Fax 011-23713412/23739944  
Website: [www.eci.nic.in](http://www.eci.nic.in)

निर्वाचन सदन,  
अशोक रोड, नई दिल्ली-110001.  
Nirvachan Sadan,  
Ashoka Road, New Delhi-110001.

No. 464/INST/VS/2017-EPS

Dated: 19<sup>th</sup> January, 2017

To

The Chief Electoral Officer of all States / UTs.


Subject: - Distribution of Photo Voter Slip – Regarding.

Sir,

I am directed to refer to the Commission's instruction no.464/INST-VS/ 2014-EPS, dated 21st March, 2014 (copy enclosed) and to state that Para (l) thereof has been amended as follows:

- i. All undistributed photo voter slips shall be returned by the BLO to the Concerned ERO concerned who shall keep the same in the sealed cover under safe custody;
  - ii. No further distribution of photo voter slip, would be done after the same are returned to the ERO;
  - iii. ERO shall make an alphabetical list of undistributed photo voter slips in respect of each part / polling station;
  - iv. Two copies of the alphabetical list shall be handed over to the RO of the constituency;
2. Further, Para (n) and (o) the Commission Instruction no. 464/INST-VS/ 2014-EPS, dated 21<sup>st</sup> March, 2014 regarding distribution of photo voter slip through facilitation counter at polling stations on poll day have been done away with.
3. Please inform all concerned including candidates, political parties and ensure compliance urgently. In the poll going states of Manipur, Punjab, Goa, Uttarakhand and Uttar Pradesh, the above should be brought to the notice of ECI observers.

Yours Faithfully,

  
(Sumit Mukherjee)  
Secretary

- 2